राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, सी–विंग, सातवां तल,
आई.पी.एस्टेट, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।

फा.सं. 08(03)/2014–क0सं0 एवं भाषा/ 2515-2517 दिनांक: 4/6/15

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, दिल्ली सरकार, दिल्ली/नई दिल्ली।
2. दिल्ली सरकार के अधीन सभी स्थानीय निकाय/बोर्ड/उपक्रम दिल्ली/नई दिल्ली।
3. आयुक्त पुलिस, पुलिस मुख्यालय, बहुमंजिला भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली।
4. विशेष आयुक्त, पुलिस (यातायात पुलिस), टोडापुर, नई दिल्ली।

विषय: नामपट्ट, सूचना पट्ट, रबड़ की मोहरें, सील, मैन्युल, लोगो प्रतीक, संहिता, प्रक्रिया संबंधित साहित्य, यातायात संकेत यातायात संबंधी दिशा–निदेश, लेखन–सामग्री इत्यादि में सबसे ऊपर/पहले हिन्दी में सुनिश्चित कराने हेतु अनुरोध।

ध्यानाकर्षण:– विभाग की क्रय/केयर टेकिंग/सूचना प्रचार शाखा से जुड़े अधिकारी एवं दिल्ली सरकार के समस्त जनसूचना अधिकारी, जिन्हें इस विभाग के दिनांक 27.8.2012 के परिपत्र सं0 8(2)/2012–क0सं0एवं भाषा/1845–58 के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के दिनांक 05.12.2007, 30.7.2009, 04.1.2010, 30.4.2010, 26.7.2010, 14.01.2011, 03.5.2011 एवं 2.11.2011 एवं 8 अगस्त, 2012 को जारी किये गए परिपत्रों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिनमें दिल्ली सरकार के विभागों तथा स्वायत्त निकायों, उपक्रमों, संस्थानों द्वारा तैयार किए गए अथवा बनवाई गई कार्यालय सामग्री पर नियमानुसार राजभाषा हिन्दी लिखवाने/छपवाने का अनुरोध किया गया था। जो इस विभाग की वेबसाइट पर भी डाला गया था जिनमे कार्यालय नामपट्ट, रबड की मोहरे, मुद्रिकाएं प्रक्रिया संबंधी साहित्य, बैज बिल्ले, निमंत्रण–पत्र, अधिकारी की नाम पट्टिका, होर्डिंग, कार्यालय प्रवेश–पत्र, पत्र–शीर्ष, कर्मचारी पहचान–पत्र, प्रेस नोट, भाषणों, आदर्श वाक्यों, स्लोगनों, प्रतीक चिहन, राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों के बैज/बैनर, प्रदर्शनियों संबंधी प्रचार सामग्री, लोगो (प्रतीक चिहन), मोनोग्राम, नक्शे नागरिक अधिकार पत्र, लेखन सामग्री, यातायात संबंधी दिशा–निदेश, प्रतियोगिताओं के प्रश्न प्रत्र, प्रशिक्षण संबंधी सामग्री, यातायात संकेतों, प्रचार सामग्री, आम नोटिस, कार्य सूची, कार्यवृत्त, फाइल कवरों पर विषय तथा उन पर विभाग का नाम इत्यादि स्टाफ कार की प्लेटों पर दिल्ली सरकार एवं कार्यालय का नाम, सार्वजनिक

बसों पर गन्तव्य स्थान इत्यादि लिखवाना, इश्तहार, मैन्युलों, फार्मों संहिता (कोडों), कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियां विज्ञापन इत्यादि आते हैं लेकिन दिल्ली सरकार के अधिकतर विभाग ऐसी मदों में से कुछ मदों पर केवल अंग्रेजी में लिखवा रहे हैं, जो कि राजभाषा नियामवली, 1976 के नियमों के उपबंधों की भावना के पूर्णतः विपरीत है। अतः आपसे पुनः अनुरोध किया जाता है कि अपने अधीन सभी संबंध कर्मचारियों/अधिकारियों एवं केयर टेकिंग/क्रय शाखा, सूचना एवं प्रचार से जुड़े अधिकारियों/जनसूचना अधिकारियों से राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 11 के उपनियम (1) (2) एवं (3) के उपबंधों इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उन्हें यथोचित निदेश देने का कष्ट करें ताकि वे उक्त मदों पर सबसे ऊपर/पहले हिन्दी लिखवा सके, इसके बाद कोई अन्य भाषा हो। इस परिपत्र का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए यथोचित निदेश जारी करवाएं।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)

फा.सं. 08(01)/2010–क0सं0 एवं भाषा/ 2418–2428 दिनांक: 5/6/15

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. सचिव, माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास मार्ग, दिल्ली ।
2. सचिव, माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
3. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री/परिवहन मंत्री/वित्त मंत्री/श्रम मंत्री/समाज कल्याण मंत्री/ खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री एवं उनके सभी संसदीय सचिवों, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, 5वां तल, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. पंजीयक, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली ।
6. सभी भाषा अकादमियों, साहित्य कला परिषद्, बाल अकादमी, गोस्वामी गिरधारी लाल प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम् के केयर टेकिंग शाखा/क्रय शाखा/सूचना एवं प्रचार शाखा को उनके सचिवों के माध्यम से ।
7. सहायक निदेशक (शिकायत), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एनडीसीसी–II भवन, बी–विंग, चौथ तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली–01 को उनके दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के पत्र संख्या 12019/03/2014–रा0भा0 (शिका0)/निक्षेपित–पार्ट–8 के संदर्भ में।
8. अध्यक्ष, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 31, उत्तरी परिसर, रामा कृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 14.2.2015 के पत्र के संदर्भ में।
9. सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान, न्यास सरस्वती बाल मंदिर, जी ब्लाक, नारायणा विहार, नई दिल्ली–28 के दिनांक 11.12.2014 के पत्र के संदर्भ में।
10. श्री मोहम्मद अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर को विभागीय वेबसाइट में डाउनलोड करने के अनुरोध सहित।
11. गार्ड फाईल।

(सुरेश कुमार शर्मा)
हिन्दी अधिकारी (कला, संस्कृति एवं भाषा)